माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

निग. 2522-II-13

कलोता कल्याण ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष
दयाराम परिहार
निवासी– ग्राम बरोदा पंथ तहसील देपालपुर जिला इंदौर — प्रार्थी

विरूद्ध

बद्रीलाल पिता हरसिंह कलोता
निवासी– ग्राम जलोदिया पंथ तहसील देपालपुर जिला इंदौर — प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान् अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30 / पुर्नविलोकन / 12–13 में दिनांक 20 / 09 / 2013 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी यह पुर्नविलोकन याचिका निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करते है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला इन्दौर

प्रकरण कमांक निगरानी 4522–दो/13

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–6–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के जिस आदेश दिनांक 29.4.2013 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 2566–पीबीआर/13 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 2820–दो/13 प्रस्तुत की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि वरिष्ठ न्यायालय में इन्हीं बिन्दुओं पर पुनरीक्षण कार्यवाही लंबित है, अतः अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 29.4.2013 के पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति हेतु प्रकरण में कार्यवाही का औचित्य नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त करनें विधिसंगत कार्यवाही की गई होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । 2/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	